



संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30-11-2022

आज दिनांक 30.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री राजीव कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 477 / 2022 धारा 363 भादवि के वाँछित अभियुक्त नाम पता डीएम उर्फ रविन्द्र कुमार पुत्र भरत निवासी सेमरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा को वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 27.11.2022 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 29.11.2022 को अपहृता को बरामद करते हुए उक्त चिकित्सा परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था। चिकित्सा परीक्षण के आधार पर धारा 366 / 376 भादवि व 5एम/ 6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 30.11.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 अजीत कुमार सिंह मय हमराह।



@santkabirnagpol



Pro Cell Santkabirnagar



spsantkabirnagar



संतकबीरनगर पुलिस



**अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दुधारा 01 किलो 100
ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त मोहन पुत्र कौड़ी निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को कटार पुल के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना महुली पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहन पुत्र कौड़ी निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 518 / 2022, धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल -

प्रभारी चौकी मुखलिशपुर उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, का0 संजय प्रसाद, का0 सुरेश मौर्या



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol



spsantkabirnapol



संतकबीरनगर पुलिस



सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **1- थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता सुनील शर्मा पुत्र राजदेव शर्मा निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी बिड़हरघाट उ०नि० श्री धर्मेन्द्र यादव, का० पीयूष कुमार सिंह।

2- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता गिरजाशंकर पुत्र जिवधन निवासी बौरव्यास थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री अमित कुमार चतुर्वेदी, हे०का० कयूम अंसारी, हे०का० रामनिवास, का० गोविन्द यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना को० खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।





संतकबीरनगर पुलिस



पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल - पीआरवी 1484
को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत डुहिया से इवेन्ट संख्या 131758 से कालर मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति नाम पता (संदीप निषाद पुत्र विक्रम निवासी सोनाड़ी चौराहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्रा० स्वा०केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थनीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु०आ० गोरखनाथ, आरक्षी बृजेश यादव, हो०चा० मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 वाहनो से 1,08,000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 143 वाहनो से 1,08,000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

